

FORM NO.III

फर्द अहकाम

( नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ ( राज.)

माथुलाल बनाम शम्भुदास

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 43/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>माथुलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>गंगाराम ओई</u></p> <p>निवासी <u>दुर्ग - चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>ऐराल (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1238/52</u></p> <p><u>53</u> , <u>56</u> , <u>57</u> , <u>59</u> <u>0-3250</u></p> <p><u>0-2400</u> , <u>0-0400</u> , <u>0-6000</u> , <u>0-5300</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> कुल रकबा <u>1-7350</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>ऐराल (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1238/52</u> , <u>53</u> , <u>56</u> , <u>57</u> , <u>59</u></p> <p><u>0-3250</u> , <u>0-2400</u> , <u>0-6000</u> , <u>0-6000</u> , <u>0-5300</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> रकबा <u>1-7350</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500-00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पंच सौ रुपए</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>